न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 121/2025 बउनवानी चैनसुख मीना **बनाम** अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
निवासी –बाढरामसर पोस्ट हीरापुर तहसील तलावडा

GCMS No-2025/ 259 **Appeal Number- 321711332422407**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
15.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर***" खo नo 272 पर स्थित हेण्डपम्प को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अति0 जिला कलेक्टर द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही के संबंध मे 10 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना"*** अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/848 दिनांक 13.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2025 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 मे चाही सूचना के संबंध मे प्रार्थी द्वारा प्रेषित किये गये पत्रों की रिसिप्ट/प्रति उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था लेकिन प्रार्थी द्वारा वांछित पत्रों की रिसिप्ट/प्रति कार्यालय मे उपलब्ध नही करवाने के कारण प्रार्थी को चाही गयी सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय मे प्रेषित पत्रों की रिसिप्ट/प्रति उपलब्ध करवाने बाबत लिखा गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार वांछित रिसिप्ट/प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी। चूंकि अपीलान्ट द्वारा भी चाही गयी सूचनाओं का पूर्ण विवरण यथा पत्र क्रमांक/दिनांक अंकित नही किया है इसलिए चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे पूर्ण विवरण के साथ सूचना चाहने बाबत आवेदन पेश करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कानाराम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	